

(1)
श्री चिटु दोराइबुद, जंचल अधिकारी, तोपचांची - खट - प्रमाण - पत्र पदाधिकारी का

न्यायालय, धनबाद

खे-द्रुल वेंव अर्जुन इलिया, प्रमाणपत्र

प्रमाण-पत्र वाद सं. 06/2011-12

1/8

गण राय

रु - 22,749.00

श्री गण राय

पिता

श्री जीतलाल राय

ग्राम

काजरा पो- गरीपडी

थाना

तोपचांची

जिला धनबाद के विरुद्ध वेंव अर्जुन राय 22,749.00 (बाईस हजार सात सै 749) रुपये की

वसूली हेतु अध्याचन पत्र दायर किया है। इनमें संलग्न विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह मांग वसूली योग्य है। इसकी वसूली विधि वर्जित नहीं है। लोक मांग वसूली अधिनियम का धारा 5 के अन्तर्गत में सन्तुष्ट हूँ। इसे पंजी 10 में दर्ज करें। देनदार के विरुद्ध PDR. Act, का 4

धारा-7 अन्तर्गत नोटीस निर्गित करें।

अभिलेख के लिये।

धारा-7 के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र देनदार के विरुद्ध सूचना जारी करें। अभिलेख दिनांक 06/2/2012 को प्रस्तुत करें।

अंचल अधिकारी, तोपचांची
- खट -
प्रमाण-पत्र पदाधिकारी

धनबाद।

06.2.12 अभिलेख अस्थापित। देनदार श्री नोटीस अन्तर्गत आ-दिनांक 06.2.12 को प्रस्तुत करें।
पटल उग्रव झा के द्वारा कोपमि अर्जुन राय के विरुद्ध नोटीस निर्गित करें।
दिनांक 05.3.12 के लिये।

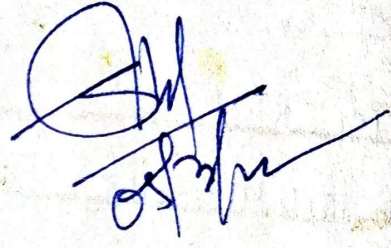
191

13.2.12

05.3.12

अतिरिक्त उपस्थापित। देनडा आता दितां 24.2.12 छ 3000.00
हपर जमा न जात्रि खीउ न द्यापन उरि अर्जित न
गई छ।

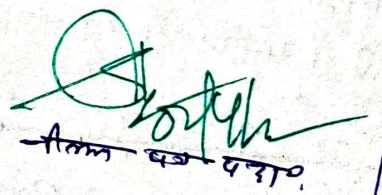
अतिरिक्त 02.4.12 छ लख।



02.4.12

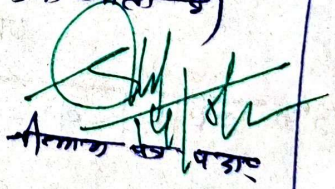
अतिरिक्त उपस्थापित। देनडा अनुपाहित। अधिकतम 10000
न ओर छ केई छेद न छ।

अतिरिक्त 14.5.12 छ लख।


-सिलन बर पडाए

14.5.12

अतिरिक्त उपस्थापित। देनडा आता अब तक मात्र 3000.00 ह जमा
डिया गया है। अब बाकी अब तक जमा नहीं हो गई है।
बाकी जमा होने हेतु अतिरिक्त को डिया जाता है।
अतिरिक्त 04.6.12 छ लख।

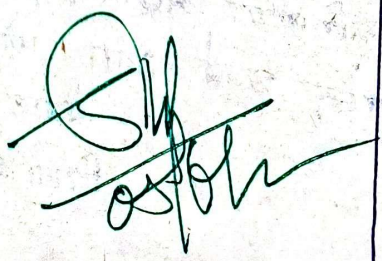

-सिलन बर पडाए

04.6.12
6.12

अतिरिक्त उपस्थापित। देनडा अनुपाहित। देनडा आता अब तक
अब तक 3000.00 ह जमा डिया गया है।

उन: -पेसावती मोदीस निर्मित छ।

अतिरिक्त 9.7.12 छ लख।



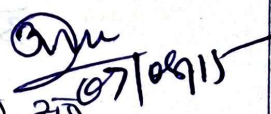
3000-2
04/15
अभिलेख उपस्थापित। देनदार द्वारा राशि जमा करने की सूचना अप्राप्त। अधिवाची प्रदायिकारी से अद्यतन सिद्धांति की मांग करें। एवं देनदार को चैतावनी नोटिस जारी करें।

अभिलेख दिनांक 30-5-15 को रखें।


नीलम पत्र प्रदायिकारी

04-7-15 अभिलेख उपस्थापित। अधिवाची पत्र डाटा खरित किया गया कि देनदार डाटा अब तक पूर्ण राशि जमा नहीं किया है। तथा उनका तथ्य बताया है।

देनदार को कई बार चैतावनी नोटिस दिया गया। नोटिस नामित होने लायक भी देनदार डाटा राशि जमा नहीं किया है। देनदार के विरुद्ध ~~चैतावनी नोटिस~~ (चैतावनी नोटिस) निर्गत करें।


अं० अं० 04/15

28.12.14

अभिलेख उपस्थापित किया गया। देनदार से राशि जमा करने हेतु चैतावनी नोटिस करें।


अं० अं०

अतः इनका विलय W/A मिल कर एक कार्यकवचन
के संबंधित ज्ञान प्रमाणी को मिले।

1912/24

[illegible]

14 23/3/24

आमिनीरव उपस्थित । शाखा अध्यक्ष संस्थान
के ऑफिस शाखा कादम्बरीदा द्वारा लिखा
19/12/24 का उपस्थित किया गया है कि देनदार श्री
जगन राय द्वारा कक्षा कुल राशी 22749:- उपस्थित
राशी जमा कर लिया गया है एवं कक्षा वं 06/2011-12
का लिखा 28/8/2018 का समाप्त कर लिया गया
उत्तर आमिनीरव का लिखा लिखा जा रहा है

28/2/2024
अ. 31/4/2024
स. २८
१००००० ५५ ५६०